भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या 24***

**(05 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)**

**प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्त करने में विलंब**

***24. डॉ. पोन गौतम सिगामणिः**

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के प्रथम चरण के अंतर्गत 24000 किमी से अधिक लंबी सड़क का निर्माण अभी भी लंबित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत आज की तारीख के अनुसार पूरी हो चुकी/निर्मित सड़कों की कुल लंबाई कितनी है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत 1562 किमी लंबाई की सड़क का निर्माण कार्य अभी भी अधूरा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि इन दो चरणों के अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने में अत्यधिक विलंब हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन दो चरणों के अंतर्गत सड़कों की शेष लंबाई के निर्माण/उन्हें पूरा करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

**उत्तर**

**ग्रामीण विकास मंत्री**

**(श्री गिरिराज सिंह)**

**(क) से (ड.):** विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

****

**लोक सभा में दिनांक 05.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 24 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

**(क) से (ख):** जी नहीं। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई- I) की शुरूआत से 29 नवंबर, 2023 तक इस योजना के अंतर्गत कुल 6,45,111 कि.मी. लंबी सड़कें स्वीकृत की गई हैं, जिसमें से 6,22,744 कि.मी. लंबी सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। 29.11.2023 तक पीएमजीएसवाई-I के अंतर्गत बनाए जाने के लिए शेष सड़कों की लंबाई 6,930 कि.मी. है।

शेष सड़कों की लंबाई स्वीकृत व निर्मित सड़कों की लंबाई के अंतर से कम है , जिसका कारण सड़कों के घुमाव की लंबाई में कमी, संरेखण में बदलाव तथा अन्य एजेंसियों द्वारा आंशिक लंबाई का निर्माण किया जाना है।

पीएमजीएसवाई-I के अंतर्गत बनाए जाने के लिए शेष सड़कों की लंबाई का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

**(ग):** जी नहीं। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई- II) के आरंभ से 29 नवंबर, 2023 तक इस योजना के अंतर्गत कुल 49,856 कि.मी. लंबी सड़कें स्वीकृत की गई हैं, जिसमें से 48,685 कि.मी. लंबी सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। पीएमजीएसवाई-II के अंतर्गत बनाए जाने के लिए शेष सड़कों की लंबाई 652 कि.मी. है।

शेष सड़कों की लंबाई स्वीकृत व निर्मित सड़कों की लंबाई के अंतर से कम है , जिसका कारण सड़कों के घुमाव की लंबाई में कमी, संरेखण में बदलाव तथा अन्य एजेंसियों द्वारा आंशिक लंबाई का निर्माण किया जाना है।

पीएमजीएसवाई-II के अंतर्गत बनाए जाने के लिए शेष सड़कों की लंबाई का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

**(घ) से (ड.):** पीएमजीएसवाई-I को पूरा करने की समय सीमा मार्च , 2019 थी। पीएमजीएसवाई-II को पूरा करने के लिए लक्षित समय सीमा मार्च , 2020 थी। चूंकि कुछ राज्यों, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र और पर्वतीय राज्यों में इन कार्यक्रमों के अंतर्गत बड़ी संख्या में स्वीकृत परियोजनाएं लंबित थीं, इन राज्यों के विशेष अनुरोध पर पीएमजीएसवाई-I, एवं II को पूरा करने की समय सीमा शुरूआत में सितंबर, 22 तक बढ़ाई गई और बाद में इसे मार्च, 2024 तक बढ़ा दिया गया है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीएमजीएसवाई-। और ।। योजना का कार्यान्वयन करते समय भूमि अधिग्रहण, वन विभाग की मंजूरी , राज्यों की कम संविदा क्षमता , निविदाओं के जवाब में कम आवेदन प्राप्त होने, विधि व्यवस्था संबंधी समस्याओं , निधियां जारी करने की राज्यों की वित्तीय क्षमता, राज्यों/एसआरआरडीए की कार्यनिष्पादन क्षमता से जुड़े मुद्दों जैसी कईं चुनौतियां सामने आई, जिनसे इस योजना की समग्र प्रगति प्रभावित हुई। पूर्वोत्तर तथा पर्वतीय राज्यों में प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों , दुर्गम भू-भाग , निर्माण कार्यों की सीमित अवधि इत्यादि जैसी कुछ अतिरिक्त समस्याएं भी सामने आईं , जिनसे चुनौतियां और बढ़ गईं। कोविड-19 के कारण भी कुछ राज्यों में निर्माण कार्यों की प्रगति पर असर पड़ा।

कार्यों की प्रगति में तेजी लाने और रास्ते में आने वाली कोई भी बाधा का समाधान निकालने के लिए राज्यों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं , जिनमे क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें (आरआरएम), निष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) की बैठकें , पूर्व-अधिकार प्राप्त समिति (पूर्व ईसी)/अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) की बैठकें शामिल हैं। राज्यों में आयोजित की जा रही विभिन्न कार्यशालाओं के साथ-साथ अंतर-विभागीय बैठकें आदि भी आयोजित करके राज्यों को आवश्यक मदद की जा रही है।

*****

अनुबंध-I

**लोक सभा में दिनांक 05.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 24 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

**पीएमजीएसवाई-I के अंतर्गत बनाए जाने के लिए शेष सड़कों की लंबाई का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा**

| क्र.सं. | राज्य का नाम | बनाए जाने के लिए शेष सड़कों की लंबाई (कि.मी. में) |
|---|---|---|
| 1 | अण्डमान और निकोबार | 12 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 89 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 922 |
| 4 | असम | 56 |
| 5 | बिहार | 590 |
| 6 | छत्तीसगढ़ | 975 |
| 7 | हिमाचल प्रदेश | 529 |
| 8 | जम्मू और कश्मीर | 817 |
| 9 | झारखंड | 148 |
| 10 | केरल | 42 |
| 11 | लद्दाख | 37 |
| 12 | मध्य प्रदेश | 40 |
| 13 | महाराष्ट्र | 65 |
| 14 | मणिपुर | 841 |
| 15 | मेघालय | 391 |
| 16 | मिजोरम | 77 |
| 17 | नागालैंड | 83 |
| 18 | ओडिशा | 42 |
| 19 | सिक्किम | 220 |
| 20 | तेलंगाना | 143 |
| 21 | त्रिपुरा | 158 |
| 22 | उत्तर प्रदेश | 10 |
| 23 | उत्तराखंड | 485 |
| 24 | पश्चिम बंगाल | 159 |
| **कुल** | | **6,930** |

अनुबंध-II

**लोक सभा में दिनांक 05.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 24 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

**पीएमजीएसवाई-II के अंतर्गत बनाए जाने के लिए शेष सड़कों की लंबाई का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा**

| क्र.सं. | राज्य का नाम | बनाए जाने के लिए शेष सड़कों की लंबाई (कि.मी. में) |
|---|---|---|
| 1 | अण्डमान और निकोबार | 79 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 26 |
| 3 | असम | 6 |
| 4 | बिहार | 16 |
| 5 | हिमाचल प्रदेश | 42 |
| 6 | जम्मू और कश्मीर | 17 |
| 7 | केरल | 17 |
| 8 | लद्दाख | 2 |
| 9 | मध्य प्रदेश | 14 |
| 10 | मणिपुर | 49 |
| 11 | मेघालय | 63 |
| 12 | मिजोरम | 120 |
| 13 | नागालैंड | 97 |
| 14 | ओडिशा | 2 |
| 15 | पुदुचेरी | 42 |
| 16 | सिक्किम | 8 |
| 17 | त्रिपुरा | 44 |
| 18 | उत्तराखंड | 4 |
| 19 | पश्चिम बंगाल | 5 |
| **कुल** | | **652** |